



क्षेत्रीय कार्यालय
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्र. /क्षेकाई./प्रनिबो/2022

प्रति,

संचालक,

HCF

विषय- जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, (यथासंशोधित) 2018 के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

उपरोक्त विषय के बारे में लेख है कि आपको BMWR, 2018 के अंतर्गत वर्ष 2021 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। इस हेतु आपको नियमानुसार सूचना दी जाती है :-

1. उपरोक्त नियमों के उपनियम-13 के प्रावधान के अनुसार आपके अस्पताल/जीव चिकित्सा संस्थान का जीव चिकित्सा अपशिष्ट का वार्षिक प्रतिवेदन फॉर्म-4 में (01.01.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि का) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावे।
2. नियमानुसार आपको, चिकित्सा संस्थान की तत्काल वेबसाइट (यदि नहीं हो तो) बनाई जावे तथा उस पर फॉर्म-4 (वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020 एवं 2021) अपलोड किया जावे।

अतः एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वार्षिक प्रतिवेदन 31 जनवरी 2022 के पूर्व अनिवार्य रूप से चिकित्सा संस्थान की वेबसाइट एवं बोर्ड की ऑनलाईन एक्स.जी.एन. साईट पर अपलोड कराई जावे। तथा उपरोक्त कार्यवाही की सूचना कार्यालय में भी देने का कष्ट करें। ऐसा नहीं करने की दशा में बोर्ड द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत विधि संगत कार्यवाही की जा सकती है एवं उक्त कार्यवाही की समस्त जिम्मेवारी आप स्वयं की होगी।

(प्रभारी अधिकारी)
जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन शाखा,
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,